स्पीड पोस्ट

संख्या-1/2018-38 जेड(2)/छः-2018-4पी0पी0/2018

प्रेषक

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 12 जनवरी, 2018**

विषयः-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकत्रंत सेनानियों के आश्रितों के पेंशन आदि प्रकरणों के त्वरित/समयबद्ध निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन "उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन नियमावली, 1975" के तहत स्वीकृत की जाती है। वर्तमान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके आश्रितों को रू0-15,176/- प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रित के रूप में सर्वप्रथम उनकी विधवा पत्नी, तत्पश्चात् पुत्र एवं पुत्री को आश्रित पारिवारिक पेंशन संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा दी जाती है।

2- उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत लोक तंत्र सेनानी को व उनकी मृत्यु के पश्चात् आश्रित पत्नी या पति को सम्मान राशि के रूप में राज्य सरकार द्वारा रू0-15,000/- प्रति माह प्रदान की जाती है, जिसकी स्वीकृति उक्त अधिनियम के अधीन संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा स्वीकत की जाती है।

---2

Shasanadesh

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों के पेंशन आदि प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने जिले से संबंधित प्रकरणों के बारे में दिनांक 01-04-2017 से प्राप्त संदर्भो एवं उसके पूर्व के लम्बित संदर्भो, की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करते हुए शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को दिनांक 31-01-2018 तक अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव

संख्या-1/2018-38 (1)जेड(2)/छ:-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ।
(2) राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1 एवं 3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(सूर्य कुमार)
उप सचिव

shasnadesh